

पत्र सं०- 10/2015

पत्रक :- बिपिन बिहारो लाल
सदस्य सह अध्यक्ष
जिला उपभाक्ता संरक्षण, स्कीनिंग कमिटी,
हागड़िया {बिहार} ।

सेवा में,

सदस्य सह जिलाधिकारी,
स्कीनिंग कमिटी,
हागड़िया {बिहार} ।


हागड़िया, 05 वीं फरवरी, 2015

विषय :- निश्चयानुसार जिला उपभाक्ता संरक्षण फोरम, हागड़िया में
रिक्त एक महिला सदस्या की नियुक्ति हेतु दिनांक 17-01-2015
की जिला स्कीनिंग कमिटी, हागड़िया की बैठक में विचार योग्य न
पाये जाने वाली आवेदिकाओं के आवेदन पत्रों की सूचिका की प्रति
हागड़िया जिला के वेबसाईड पर प्रदर्शित करने हेतु ।

महाशय,

निश्चयानुसार उपरोक्त विषयवर्ती तथ्यों से संबंधित सूचिका की छाया
प्रति उपरोक्त प्रसंग में भेजा जाता है :-
यह आपको सादर समर्पित है ।

अनुलग्नक :- -दो- पन्ना ।

विश्वासभाजन

05/2/2015
{बिपिन बिहारो लाल}

सदस्य सह अध्यक्ष, जिला उपभाक्ता संरक्षण
फोरम स्कीनिंग कमिटी, हागड़िया {बिहार}

DIONIC

410 / शाखा
मिसे

जिला पदाधिका
हागड़िया

17-01-2015
17-01-2015
17-01-2015

§क॥ निम्न छः आवेदकों का आवेदन पत्र विहित आवेदन प्राप्ति की संतुषित

विज्ञापित तिथि 30-09-2013 के बाद प्राप्त हुई है :-

आवेदक का नाम :-

अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम खगड़िया

के कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति तिथि

§1१ संजीव कुमार:- दिनांक 04-11-2014

§2१ रिकु कुमारी पति श्री दीपक कुमार:- दिनांक 28-10-2014

§3१ श्रीमति रूपम कुमारी सिन्हा पति राजेश कुमार-दि 26-11-2014

§4१ राजेश कुमार सिंह :- दिनांक-26-11-2014

§5१ सांत्वना शर्मा पति श्री उमेश चन्द्र शर्मा :- दिनांक-19-11-2014

§6१ राम दुलारी कुमारी पति श्री सुरेन्द्र कुमारी सिंह-दिनांक-01-10-2013

अतः उपरोक्त विज्ञापित/ सूचना के आलोक में उपरोक्त आवेदकों के आवेदन पत्रों को स्कीनिंग कमीटी खगड़िया द्वारा विचार योग्य नहीं पाया गया ।

§ख॥ महिला सदस्या की नियुक्ति/ अनुशांता हेतु निम्न पुरुष सदस्य का आवेदन पत्र विहित समयावधि दिनांक 30-09-2013 के अन्दर प्राप्त हुआ है :-

§1१ श्रीलेन्द्र दास पिता श्री वावूलाल दास

स्कीनिंग कमीटी खगड़िया के विचारोपर्यन्त उपरोक्त पुरुष आवेदक के आवेदन पत्र को उपरोक्त विज्ञापित/ सूचना के आलोक में विचार योग्य नहीं पाया गया

§ग१ स्कूटनी के क्रम में यह भी पाया गया कि निम्न आवेदिका की उम्र दि 15-09-2013 को न्यूनतम आयु पैतीस वर्ष से कम है :-

आभा कुमारी :-

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दीर्घतम जन्म

पिता श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह

तिथि-08-08-1991 है ।

(15-09-2013
08-08-1991 (1991) -8)
07-01-22

यानी दिनांक 15-09-2013 को आवेदिका की उम्र पैतीस वर्ष से कम है ।

सम्यक विधरोपर्यन्त स्कूटनी कमीटी खगड़िया ने उपरोक्त आवेदिका के आवेदन को उपरोक्त विज्ञापित/ सूचना के आलोक में विचार योग्य नहीं पाया ।

17-01-2015
सदस्य सद अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, खगड़िया

१४४ निम्न आवेदिका द्वारा विहित अनुभव/कम से कम दस वर्षों का बांछित अनुभव संबंधी कागजातों की अभिपूरणीय प्रती आवेदन के साथ दाखिल नहीं किया गया है :-

१४४ साधना बोस - बांछित अनुभव का कोई कागजात/अभिपूरणीय प्रती श्री मनोज कुमार सिंह, प्रती आवेदन के साथ दाखिल नहीं है। जन्म तिथि/वैशेषिक योग्यता का भी अभिपूरणीय प्रती दाखिल नहीं है।

१४४ श्रीमति रेणु सिन्हा - आवेदिका द्वारा केवल 04.05.1999 से दिनांक प्रती श्री पवन कुमार सिंह, 03.07.2012 तक सहायक शिक्षिका के प्रमाण पत्र की अभिपूरणीय प्रती दाखिल है। तेरह वर्षों से पत्रकारिता से संबंधित कोई कागजात/कागजात की अभिपूरणीय प्रती आवेदन के साथ दाखिल नहीं है।

अतः स्कूनी कमिटी खगडिया के विचारोपर्यन्त उपरोक्त दोनों आवेदिकाओं का आवेदन पत्र उपरोक्त विज्ञापित/सूचना के आलोक में विचार योग्य नहीं पाया गया।

१४४ निम्न एक आवेदिका अधिवक्ता के रूप में दिनांक 05.07.2001 से कार्यरत है -

अनिता कुमारी पासवान - दिनांक 05.07.2001 से विधि व्यवसाय कर प्रती श्री रौशन कुमार अश्वनी, से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिपूरणीय प्रती दाखिल है।

उपरोक्त आवेदिका का आवेदन-पत्र, उपरोक्त राज्य आयोग पटना के पत्र संख्या-287 दिनांक -26.04.2005 की कंडिका १४४ के आलोक में स्कूनी कमिटी खगडिया द्वारा विचार योग्य नहीं पाया गया।

17.01.2015
संयोजक संयोजक संयोजक
पंचायत समिति, संयोजक फोर्स, संयोजक